न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
05/2025	21.08.2025	13.02.2026

पीठासीन अधिकारी – दीपक महावर (आर.ए.एस.)

उनवान

कलावती शर्मा पुत्री गोपीलाल जी पत्नी जगदीश प्रसाद जी शर्मा आयु 62 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा राज0।

(वादीनी)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा राज0।

(प्रतिवादी)

प्रार्थीनी की और से :– श्री ओमप्रकाश सोनी एडवोकेट
प्रतिवादीगण की और से :–

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट वास्ते

–: निर्णय :–

प्रार्थीनी ने उपरोक्त शीर्षक का प्रार्थना पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थीनी के पिता गोपीलाल आत्मज ओंकारलाल जी के खसरा संख्या 1630/1 की 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा की आवंटन की गयी थी जो नामा0 नं0 469 से गैरखातेदारी में दर्ज की गयी जमाबन्दी सम्वत 2022–25 पेश है। यह कि प्रार्थीनी के पिता गोपीलाल जी आवंटन के बाद उक्त भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे थे। इसी मध्य गोपीलाल जी को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये ओर खातेदारी का प्रमाण पत्र सं0 100 दिनांक 18.07.83 को जारी किया गया जिसके आधार पर नामा0 सं0 74 से उक्त भूमि खातेदारी में दर्ज की गयी। यह कि इसी मध्य प्रतिवादी के सेटलमेन्ट विभाग द्वारा उपरोक्त भूमि में भूप्रबन्ध कार्य किया गया जिसके आधार पर पुराने खसरा नम्बर 1630/1 की 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 1491 रकबा 0.40 हेक्टर भूमि दर्ज किया गया। किन्तु उक्त खातेदारी नामान्तरकरण का अमल सेटलमेन्ट में नहीं हो सका और उक्त भूमि गेरखातेदारी में ही दर्ज करदी गयी । नकल मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2043 से 62

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तुत है तथा जमाबन्दी सम्वत् 2043 से 62 की नकल पेश है। यह कि खातेदार गोपीलाल जी का देहावसान हो गया ओर प्रार्थीनी ही एक मात्र पुत्री थी इस कारण उक्त भूमि नामा0 सं0 1370 से प्रार्थीनी के नाम गैरखातेदारी में दर्ज हुई। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2071–74 पेश है। यह कि उपरोक्त भूमि पर आवंटी प्रार्थीनी के पिता गोपीलाल जी थे उनको खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके थे किन्तु राजस्व रिकार्ड में उसका अमल नही हो सका इस कारण सेटलमेन्ट के दौरान व उसके बाद उक्त भूमि गैरखातेदारी में ही दर्ज चली आ रही है। इस कारण उक्त भूमि खातेदारी मे दर्ज किया जाना आवश्यक है

अतः प्रार्थीनी ने निवेदन किया है कि प्रतिपक्षी को तलब किया जाकर प्रतिपक्षी को राजस्व रिकॉर्ड मे पुराने खसरा नं0 1630/1 की 2 बीघा 4 बिस्वा भूमि के नये खसरा नम्बर 1491 रकबा 0.40 है0 भूमि प्रार्थीनी की गैरखातेदारी से हटा कर खातेदारी में दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे व राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने की आज्ञा प्रदान की जावे तथा अन्य न्यायोचित सहायत हो तो वह भी प्रार्थीनी को प्रदान की जावें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गयी। प्रतिवादी की ओर से तहसीलदार दीगोद द्वारा जवाब सरकार प्राप्त हुआ जो शामिल फाईल किया गया। पत्रावली को बहस पर नियत किया गया।

प्रार्थीनी के अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात में आद्योपान्त अवलोकन, अध्ययन एवं बहस में अधिवक्ताओं के कथित कथनों पर मनन करने से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि प्रकरण में प्रार्थीनी उक्त आराजी को गैरखातेदारी से खातेदारी करवाने की रिलीफ चाहता है किन्तु प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थीनी अपने प्रार्थना पत्र को साबित करने में सफल नहीं रहा है इस कारण प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को खारीज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2026 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद

उपखण्ड अधिकारी
दीगोद, जिला कोटा (राज.)

Scanned with OKEN Scanner